



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/ आषाढ़ 20, 1935

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ ASADHA 20, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2013

सं० एल.1/12/2010—केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखंड (ट) को हटा दिया जाएगा।

3. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:** (1) मूल विनियम के विनियम 5 के खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

“(ख) उसके पास समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन अंगीकृत टैरिफ पर, इसकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने के प्रयोजन के लिए बाध्य इकाई से विद्युत के विक्रय के लिए ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता हेतु कोई ऊर्जा क्रय करार नहीं है :

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित सह-उत्पादन संयंत्रों की दशा में, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा निर्धारित या स्वीकृत संबद्ध भार क्षमता को ऊर्जा क्रय करार के अधीन शामिल ऐसे संयंत्रों की क्षमता को ध्यान में रखें बिना, प्रमाणपत्रों को जारी करने के प्रयोजन के लिए कैप्टिव उपभोग के लिए क्षमता के रूप में समझा जाएगा।”

(2) मूल विनियम के विनियम 5 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) में “ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूलड लागत से अनधिक कीमत पर” शब्दों के स्थान पर “समुचित आयोग द्वारा यथा अवधारित ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूलड लागत पर” शब्द रखे जाएंगे।

(3) विनियम 5 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अंतर्गत परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे:

“परंतु यह कि ऐसी उत्पादन कंपनी, जिसने समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अंतर्गत अंगीकृत टैरिफ पर, इसकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने के प्रयोजन के लिए बाध्य कंपनी से विद्युत के विक्रय के लिए विद्युत क्रय करार किया हो, करार के परिपक्वतापूर्व समाप्ति की दशा में, ऐसे करार की समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र स्कीम में भाग लेने या विद्युत क्रय करार की समाप्ति की अनुसूचित तारीख तक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, पात्र नहीं होगी, यदि उक्त विद्युत क्रय करार के निबंधन एवं शर्तों के सारवान् उल्लंघन के लिए उत्पादन कंपनी के विरुद्ध समुचित आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश या निर्णय पारित पाए जाते हैं:

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र (सीजीपी) इस शर्त के अध्याधीन आरईसी योजना में भाग लेने के लिए स्व-उपभोग के लिए ऐसे संयंत्र से उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा हेतु पात्र होगा कि ऐसे सीजीपी ने रियायती/प्रोत्साहन पारेषण या चक्रण प्रभारों और/या बैंकिंग सुविधा के रूप में कोई फायदा नहीं किया है या उसका फायदा लेने का प्रयोजन नहीं है:

परंतु यह और कि यदि ऐसा सीजीपी रियायती पारेषण या चक्रण प्रभारों और/या बैंकिंग प्रसुविधा फायदा का स्वयं त्याग करता है तो वह केवल ऐसे फायदों को त्याग करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के समाप्त के पश्चात् ही आरईसी स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र होगा:

परंतु यह और कि आरईसी स्कीम में भाग लेने के लिए सीजीपी के लिए ऊपर उल्लिखित शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होगी यदि पारेषण प्रभार या चक्रण प्रभार और/बैंकिंग प्रसुविधा फायदा के रूप में ऐसे सीजीपी को दिए गए फायदों को संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जाता है:

परंतु यह भी कि विद्युत नियम, 2005 में यथा विहित सीजीपी की शर्तों को पूरा न करने वाले और पारेषण या चक्रण प्रभारों और/या बैंकिंग सुविधा फायदा के रूप में रियायती फायदा लेने वाले कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा के स्व-उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसे लाभों को त्यागने की अपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह कि यदि सीजीपी या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन द्वारा ऐसे रियायती/प्रोत्साहनात्मक फायदों को लेने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निर्णय के लिए समुचित आयोग के पास भेजा जाएगा:

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए ‘बैंकिंग सुविधा लाभ’ अभिव्यक्ति से केवल ऐसी बैंकिंग सुविधा फायदा अभिप्रेत है जिसके द्वारा सीजीपी या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक ने किसी भी समय (व्यस्ततम घंटों सहित) बैंक ऊर्जा के उपयोग करने का फायदा लिया हो भले ही उसने आफ-पीक घंटों के दौरान ग्रिड में ऊर्जा अंतःक्षेपित की हो।”

(4) मूल विनियम के विनियम 5 के खण्ड (1) अधीन एक नया उपखण्ड जोड़ा जाएगा:

“(घ) वह ऐसी इकाई द्वारा नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिए बाध्य इकाई को, प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारी के माध्यम से, संयंत्र से उत्पादित विद्युत का विक्रय नहीं करता।”

4. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:** (1) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(1) पात्र इकाई पात्र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तत्स्थानी उत्पादन से छह माह के भीतर प्रमाणपत्रों के लिए केन्द्रीय अभिकरण को आवेदन करेगी:

परंतु यह कि प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवेदन मास के दसवें, बीसवें और अंतिम दिन को किया जा सकता है।”

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड 4 और खण्ड 6 में, ‘कैप्टिव विद्युत उत्पादकों’ शब्दों के स्थान पर, ‘कैप्टिव उत्पादक संयंत्र’ शब्द रखे जाएंगे।

5. **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:** (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(1) जब तक कि आयोग द्वारा आदेश से अन्यथा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, प्रमाणपत्र को केवल पावर एक्सचेंज के माध्यम से निपटाया जाएगा और इस विनियम के खण्ड (3) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी अन्य ढंग से नहीं निपटाया जाएगा।”

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड (2) के पश्चात्, एक नया खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(3) कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को संबंधित राज्य अभिकरण द्वारा प्रमाणन तथा सत्यापन के अध्यक्षीन उपभोक्ता के रूप में अपनी नवीकरणीय क्रय बाध्यता की ऑफसेंटिंग के लिए प्रमाणपत्रों को रखने की अनुमति दी जाएगी:

परंतु यह कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक अपनी नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्रतिधारित प्रमाणपत्रों के ब्यौरों के संबंध में केन्द्रीय अभिकरण को सूचित करेगा:

परंतु यह और कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को उपभोक्ता के रूप में इसकी समूह कंपनियों की ऑफ-सेंटिंग नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं के लिए प्रमाणपत्रों को रखने की अनुमति नहीं होगी।

6. **मूल विनियम के विनियम 9 में संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) में, ‘अधिमान टैरिफ’ शब्दों के स्थान पर, ‘बाध्य इकाई को उसकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने के प्रयोजन के लिए “विद्युत की बिक्री के लिए, समुचित आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित या धारा 63 के अधीन स्वीकृत टैरिफ” शब्द रखे जाएंगे।

7. **मूल विनियम के विनियम 10 में संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 10 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(1) रजिस्ट्रीकरण के बाद, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से या केन्द्रीय अभिकरण द्वारा ऐसे संयंत्र के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से, जो भी बाद में हो, इन विनियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किए जाने लिए पात्र होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 730 दिनों तक विधिमान्य होंगे:

परंतु यह कि उस समय उत्पादित विद्युत के लिए पात्र इकाई को जारी किया गया प्रमाणपत्र, जब ऐसी इकाई प्रत्यायन के लिए पात्रता मानदण्डों को पूरा करती है, 730 दिनों की उक्त अवधि के लिए विधिमान्य होगा, भले ही ऐसी इकाई का प्रत्यायन बाद की तारीख में प्रतिसंहृत हो जाता है:

परंतु यह कि जहां पात्र इकाई ने मिथ्या सूचना या सारवान् सूचना को छुपाने के आधार पर प्रत्यायन और रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है और ऐसी इकाई का प्रत्यायन बाद की तारीख पर प्रतिसंहृत किया गया है वहां ऐसी इकाई को पहले से जारी किया गया, किन्तु जो निष्कृत न किया गया हो, प्रमाणपत्र ऐसे प्रमाणपत्रों

के जारी करने की तारीख से प्रतिसहृत समझा जाएगा और पहले से निष्क्रीत प्रमाणपत्रों की वाबत ऐसी इकाई लागू भारतीय स्टेट बैंक की प्रति वर्ष बेस दर से 2 प्रतिशत अधिक की दर पर ऐसे प्रमाणपत्रों की बिक्री से वसूली गई राशि, ब्याज सहित, केन्द्रीय अभिकरण के पास जमा करेगी।”

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/150/13]

टिप्पणी :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—III, खण्ड—4, क्रम सं—26 में तारीख 18.1.2010 को प्रकाशित किए गए थे और पहला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, क्रम सं—249 में तारीख 1.10.2010 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2013

No. L-1/12/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations.—Sub-clause (k) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be deleted.

3. Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations.— (1) Sub-clause (b) of clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) it does not have any power purchase agreement for the capacity related to such generation to sell electricity, with the obligated entity for the purpose of meeting its renewable purchase obligation, at a tariff determined under section 62 or adopted under section 63 of the Act by the Appropriate Commission:

Provided that in case of renewable energy sources based co-generation plants, the connected load capacity as assessed or sanctioned by the concerned distribution licensee, shall be considered as the capacity for captive consumption for the purpose of issue of certificates, irrespective of the capacity of such plants covered under the power purchase agreement.”

(2) In sub-clause (c) of clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations, the words "at price not exceeding the pooled cost of the power purchase of such distribution licensee" shall be substituted with the words "at the pooled cost of power purchase of such distribution licensee as determined by the Appropriate Commission".

(3) The provisos under sub-clause (c) of clause (1) of Regulation 5 shall be substituted as under:

“Provided that such a generating company having entered into a power purchase agreement for sale of electricity, with the obligated entity for the purpose of meeting its renewable purchase obligation, at a tariff determined under section 62 or adopted under section 63 of the Act by the Appropriate Commission shall not, in case of pre-mature termination of the agreement, be eligible for participating in the Renewable Energy Certificate (REC) scheme for a period of three years from the date of termination of such agreement or till the scheduled date of expiry of power purchase agreement whichever is earlier, if any order or ruling is found to have been passed by an Appropriate Commission or a competent court against the generating company for material breach of the terms and conditions of the said power purchase agreement:

Provided further that a Captive Generating Plant (CGP) based on renewable energy sources shall be eligible for the entire energy generated from such plant for self consumption for participating in the REC scheme subject to the condition that such CGP has not availed or does not propose to avail any benefit in the form of concessional/promotional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit:

Provided also that if such a CGP forgoes on its own, the benefits of concessional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit, it shall become eligible for participating in the REC scheme only after a period of three years has elapsed from the date of forgoing such benefits:

Provided also that the above mentioned condition for CGP for participating in the REC scheme shall not apply if the benefits given to such CGP in the form of concessional transmission or wheeling charges and/or banking facility benefit are withdrawn by the concerned State Electricity Regulatory Commission and/or the State Government:

Provided also that any renewable energy generating plant not fulfilling the conditions of CGP as prescribed in the Electricity Rules, 2005 and availing the concessional benefits in the form of transmission or wheeling charges and/or the banking facility benefit shall be required to forego such benefits for the purpose of availing renewable energy certificate for self-consumption of energy generated:

Provided also that if any dispute arises as to whether a CGP or any other renewable energy generator has availed such concessional/promotional benefits, the same shall be referred to the Appropriate Commission for decision.

Explanation:- For the purpose of this Regulation, the expression ‘banking facility benefit’ shall mean only such banking facility whereby the CGP or any other renewable energy generator gets the benefit of utilizing the banked energy at any time (including peak hours) even when it has injected into grid during off-peak hours.”

(4) A new sub-clause shall be added under clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations as under:

"(d) It does not sell electricity generated from the plant, either directly or through trader, to an obligated entity for compliance of the renewable purchase obligation by such entity."

4. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations: (1) Clause (1) of the Regulation 7 shall be substituted as under:

"(1) the eligible entity shall apply to the Central Agency for certificates within six months from the corresponding generation from eligible renewable energy projects:

Provided that the application for issuance of certificates may be made on 10th, 20th and last day of the month."

(2) In clauses 4 and 6 of the Regulation 7, the words "captive power producer" shall be substituted by the words "captive generating plant".

5. Amendment of Regulation 8 of the Principal Regulations.- (1) Clause 1 of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

"(1) Unless otherwise specifically permitted by the Commission by order, the certificate shall be dealt only through the power exchange and not in any other manner except as provided in clause (3) of this regulation."

(2) A new clause shall be added after clause (2) of Regulation 8 of the Principal Regulations, namely :

"(3) A renewable energy generator including captive generating plant shall be permitted to retain the certificates for offsetting its renewable purchase obligation as a consumer subject to certification and verification by the concerned State Agency:

Provided that the renewable energy generator including captive generating plant shall inform the Central Agency regarding the details of the certificates retained by it for meeting its renewable purchase obligations :

Provided further that renewable energy generator shall not be permitted to retain the certificates for offsetting renewable purchase obligation of its group companies as a consumer."

6. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations.- In sub-clause (c) of clause (2) of Regulation 9 of Principal Regulations, the words "preferential tariff" shall be substituted with the words "tariff, for sale of electricity to an obligated entity for the purpose of meeting its renewable purchase obligations, determined under section 62 or adopted under section 63 of the Act by the Appropriate Commission".

7. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations.- Clause (1) of the Regulation 10 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(1) After registration, the renewable energy generation plant shall be eligible for issuance of Certificates under these Regulations from the date of commercial operation or from the date of registration of such plant by the Central Agency whichever is later:

Provided that the Certificate issued under these Regulations shall remain valid for seven hundred and thirty days from the date of issuance:

Provided that the Certificate issued to an eligible entity for the electricity generated at a time when such entity fulfilled the eligibility criteria for accreditation, shall remain valid for the said period of seven hundred and thirty days, even if accreditation of such entity is revoked at a later date:

Provided that where an eligible entity has obtained accreditation and registration on the basis of false information or by suppressing material information and the accreditation of such entity is revoked at a later date, the Certificates already issued to such entity but not redeemed shall stand revoked from the date of issue of such Certificates and in respect of Certificates already redeemed, such entity shall deposit the amount realized from sale of such Certificates along with the interest with the Central Agency at the rate of two (2) percent in excess of the applicable State Bank of India Base rate per annum."

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./150/13]

Note: The principal regulations were published on 18.1.2010 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, Sr. No. 26 and first amendment was published on 1.10.2010 in Gazette of India Extraordinary Part-III Section-4, Sr. No.249.